रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग—II खण्ड—3 उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 5 नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 1970/पौष 22, 1891

No. 5] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 1970/PAUSA 22, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 12th January 1970

G.S.R. 74.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), the Central Government hereby appoints the 12th day of January, 1970 as the date on which the provisions of section 2 and 3 of the said Act shall come into force.

[No. F. 1/2/70-SR-I.]

गृह मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1970

सा० का० नि० 74.—असम पुनस्संगठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा जनवरी 1970 के 12 वे दिन को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिस तारीख को उक्त अधिनियम की धारा 2 और 3 के उपबन्ध प्रवृत्त होंगे।

[सं० फा० 1/2/70-एस० आर०-1]

G.S.R. 75.—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 2 of the Assam Reogranisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), the Central Government hereby appoints the 2nd day of April 1970 as the date for the formation of the autonomous State of Meghalaya.

[No. F. 1/2/70-SR-2.]

सा० का० नि० 75.—असम पुनस्संगठन (मेघालय) अधिसूचना, 1969 (1969 का 55) की धारा 2 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अप्रैल, 1970 के दूसरे दिन को स्वशासी मेघालय राज्य के निर्माण की तारीख के रूप में नियत करती है।

[सं० फा० 1/2/70-एस० आर०-2]

G.S.R. 76.—In pursuance of sub-section (2) of section 3 of the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), the Central Government hereby fixes the 23rd day of February, 1970 as the date within which the District Council for the autonomous district of the North Cachar Hills or the Mikir Hills or both may pass a resolution by a majority of not less than two-thirds of the members of the District Council for the autonomous district of the North Cachar Hills or the District Council of the autonomous district of the Mikir Hills or each of those Councils, as the case may be, expressing a desire that the said autonomous district or districts shall form part of Meghalaya.

[No. F. 1/2/70-SR-3.]

M. G. PIMPUTKAR,
Special Secy. (UT).

सा० का० नि० 76.—असम पुनस्संगठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार, फरवरी 1970 के 23 वें दिन को एतद्द्वारा ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसके भीतर उत्तर कचार हिल्स या मिकिर हिल्स या दोनों के स्वशासी जिले की जिला परिषद्, यह इच्छा अभिव्यक्त करते हुए कि उक्त स्वशासी जिला या जिले मेघालय का ही भाग होगा / होंगे, यथास्थिति, उत्तर कचार हिल्स के स्वशासी जिले के लिए जिला परिषद् के या मिकिर हिल्स के स्वशासी जिले की जिला परिषद के या उन परिषदों में से प्रत्येक जिला परिषद के सदस्यों के दो तिहाई सदस्यों से अन्यून बहुमत से प्रस्ताव पारित कर सकेगी।

[सं० एफ० 1/2/70-एस० आर०-3]

एम० जी० पिम्पुतकर,
विशेष सचिव (यू० टी०)।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970